

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक एफ 21 (7)2023-24/विकास/प्रमुखस/ 8339

दिनांक: 20/09/2023

कार्यालय आदेश

माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान द्वारा वर्ष 2023-24 की बजट घोषणा संख्या 118 (VI) Grass Land and Wetland Development (दिनांक 10.02.2023) की अनुपालना में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ 21(7)2023-24/विकास/प्रमुखस/ 5976 दिनांक 20.07.2023 द्वारा चारागाह विकास एवं वृक्षारोपण हेतु बजट मद 4406-वानिकी तथा वन्यजीव पर पूंजीगत परिव्यय, 01-वानिकी, 101-वन संरक्षण विकास तथा संपोषण, 01-परिभ्राषित वनों का पुनरोपण, 63-वृक्षारोपण में वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु बजट आवंटन किया गया था। मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव, जोधपुर के पत्रांक 2289 दिनांक 05.09.2023 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार संशोधित बजट आवंटन किया जाता है।

मुख्य वन संरक्षक	उप वन संरक्षक	पूर्व में आवंटित बजट		संशोधित आवंटित बजट	
		क्षेत्रफल (है० में)	आवंटित राशि (रु.लाखों में)	क्षेत्रफल (है० में)	आवंटित राशि (रु.लाखों में)
मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, जोधपुर	उप वन संरक्षक, वन्यजीव, जैसलमेर	800	336.00	950	336.00

उक्त संशोधित आवंटन के अतिरिक्त किसी प्रकार का बजट आवंटन नहीं किया जायेगा। उक्त राशि से ही कार्य सम्पादित किया जाना सुनिश्चित करें। अन्य शर्तें पूर्व संदर्भित पत्र के अनुसार यथावत रहेगी।

(पी.के.उपाध्याय)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक(विकास)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 21 (7)2023-24/विकास/प्रमुखस/ 8340-45 दिनांक: 20/9/2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, जोधपुर को आपके पत्रांक 2289 दिनांक 05.09.2023 के क्रम में।
2. वित्तीय सलाहकार, वन विभाग, जयपुर।
3. उप वन संरक्षक, वन्यजीव, जैसलमेर।
4. प्रभारी अंकमिलान (लेखा शाखा)/संकलन शाखा (सांख्यिकी अनुभाग)/कम्प्यूटर शाखा।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक(विकास)
राजस्थान, जयपुर